अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 98–52/2011–12 कामिनी सिंह एवं अन्य – अपीलार्थीगण वनाम राज्य – रेस्पोण्डेन्ट –: **आदेश** :– प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थीगण द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 876–1/ आई.सी.डी.एस. दिनांक 20.08.2011 अन्दर वाद संख्या 32/2011–12 में पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया है । प्रस्तुत अपीलवाद ऑगनबाड़ी केन्द्र भागवतपुर–01, केन्द्र संख्या–87 महिषी दक्षिण पंचायत बाल विकास परियोजना महिषी से संबंधित है । उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के दौरान कथन करते है कि दिनांक 05.08.2011 को 11.10 बजे पूर्वाहन् में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा उक्त केन्द्र का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अपीलार्थीगण पर ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में पायी गई अनियमितता/त्रुटियों का उल्लेख किया गया है जो निम्न प्राकर है :– 1. सेविका केन्द्र पर उपस्थित नहीं थी । 2. केन्द्र में बच्चे नहीं थे ।	

3. केन्द्र स्थल के बगल में पशु रखने का स्थान है ।

4. केन्द्र के साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है

5. सहायिका पोशाक में नहीं थी ।

6. सहायिका पोषाहार में बच्चो को बुलाकर केवल खिचड़ी बनाकर खिलाती है ।

7. केन्द्र का संचालन अनियमित रूप से होता है ।

जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 67–2 दिनांक 09.08.2011 द्वारा अपीलार्थी सं0–01 एवं 02 को स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि 18.08.2011 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ,सहरसा के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने के लिए निदेशित किया गया ।

अपीलवाद के सुनवाई के क्रम में अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपीलार्थी सं0–01 की मृत्यु होने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए मात्र अपीलार्थी संख्या 02 की सुनवाई हेतु इस न्यायालय से याचना की गई ।

प्रस्तुत अपीलवाद के सुनवाई के कम में सहायिका पर लगाए गए केन्द्र बन्द रहने तथा बच्चे नहीं होने के आरोप के संबंध में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि केन्द्र खुला था, परन्तु संबंधित पोषक क्षेत्र में दिनांक 05.08.11 को स्थानीय लोगों का महरजाद नामक पर्व होने के कारण कम बच्चे उपस्थित थे ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता केन्द्र स्थल के बगल में पशु रखने तथा केन्द्र की साफ सफाई अच्छी नहीं होने के आरोप पर कथन करते हैं कि सेविका द्वारा मकान मालिक से पशु हटाने की बात की गयी है। ऑगनबाड़ी केन्द्र के साफ–सफाई के बिन्दु पर अपीलार्थी सं0–02 के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि वे नियमित साफ–सफाई का कार्य करती है परन्तु उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रहने के कारण केन्द्र की साफ–सफाई के बावजूद भीं स्वच्छता की समस्या उत्पन्न होती रही है परन्तु केन्द्र संचालित अवधि में सफाई कार्य सहायिका द्वारा की जाती थी ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि सहायिका का पोशाक धुलाई में दिए जाने के कारण वे पोशाक में नहीं थीं । पोषाहार संबंधी आरोप के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि सेविका द्वारा उपलब्ध कराए गये पोषाहार सामग्री से सहायिका पोषाहार तैयार करती थी

तथा बच्चों को केन्द्र पर बुलाकर लाना भी सहायिका के कार्य क्षेत्र में आता है ।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि सहायिका द्वारा केन्द्र संचालन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी है वो सहायिका के विरूद्ध जॉच पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गयी है। अपीलीर्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता अन्त में कथन करते हैं कि सहायिका पर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर पुनः सहायिका में बहाल करने का आदेश देने का कथन करते है ।

रेस्पोण्डेन्ट के विद्वान सरकारी अधिवक्ता कथन करते हैं कि ऑगनबाड़ी के संचालन में उत्पन्न समस्या एवं केन्द्र स्थापित स्थान की अनुपयुक्तता के संबंध में पर्यवेक्षण पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी को जानकारी देना तथा उचित व्यवस्था के लिए आग्रह करना सेविका एवं सहायिका की संयुक्त जिम्मेवारी बनती है । सरकारी अधिवक्ता आगे कथन करते है कि जॉच के दौरान साफ–सफाई की स्थिति अच्छी नहीं पायी गयी है। सहायिका द्वारा केन्द्र की साफ सफाई में लापरवाही बरती गई है, जबकि स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता थी । अस्तु प्रमाणित होता है कि केन्द्र संचालन में सहायिका द्वारा अनियमितता बरती गयी है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में रक्षित अपलार्थी सं0–01 की मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया। ऑगनबाड़ी सेविका के आकस्मिक मृत्यु हो जाने से अपीलार्थी सं0–01 के मामले पर कोई विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अपीलार्थी संख्या 02 के विज्ञ अधिवक्ता को बहस सुना अभिलेख में रक्षित सभी कागजातों का सुक्ष्म अवलोकन किया ।

अभिलेख के गहन अवलोकन एवं उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची कि ऑगनबाड़ी केन्द्र सही ढंग से संचालित न रहने के कारण बच्चों की उपस्थिति नहीं हो रही थी। सहायिका द्वारा मात्र कुछ बच्चों को बुलाकर खाना खिलाया जाता था साथ ही निरीक्षण के कम में केन्द्र साफ–सफाई की स्थिति अच्छी नहीं रहने से सहायिका द्वारा केन्द्र की साफ सफाई में लापरवाही बरती गयी है। केन्द्र संचालन का कार्य सेविका एवं सहायिका की संयुक्त जिम्मेवारी है। अस्तु केन्द्र संचालन में बरती गयी अनियमितता पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है । प्रस्तुत

किया
अपीलवाद अस्वीकृत जाता है।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

17/1/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

17/1/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।